

स्पीड पोस्ट द्वारा/आर0टी0आई0 मामला

स0 11/21022/23(53)2014-एफ0सी0आर0ए0-III

गृह मंत्रालय  
विदेशी प्रभाग  
(एफ0सी0आर0ए0 स्कन्ध)

प्रथम तल, एन0डी0सी0सी0-II भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई, 2014

सेवा में

डॉ0 नूतन ठाकुर,  
5/426 वीराम खंड,  
गोमती नगर,  
लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के आर0टी0आई0 एकक के दिनांक 2/7/2014 के का0ज्ञा संख्या ए-43020/01/2014-आर0टी0आई0 के माध्यम से इस स्कन्ध में दिनांक 7/7/2014 को प्राप्त हुए दिनांक 15/5/2014 के आर0टी0आई0 आवेदन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध अभिलेख के अनुसार एफ0सी0आर0ए0 स्कन्ध द्वारा 15/08/1947 से अब तक किसी जांच आयोग का गठन नहीं किया गया है।

3. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत श्री वी0 वुमलुनमंग, संयुक्त सचिव (विदेशी) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ0ए0ए0), के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपील (प्रथम) कर सकते हैं:-

श्री वी0 वुमलुनमंग,  
संयुक्त सचिव (एफ0), गृह मंत्रालय  
भूतल, एन0डी0सी0सी0-II भवन,  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001

भवदीय,  
  
(गोपाल झा)

अवर सचिव (एफ0सी0-III)/सी0पी0आई0ओ0  
दूरभाष 23438042

प्रति प्रेषित:-

1. श्री एस0 सामन्त, अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली - को उनके दिनांक 02/07/2014 के का0ज्ञा के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आई0टी0एकक) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - को डा0 नूतन ठाकुर के आर0टी0आई0 आवेदन की प्रति सहित आर0टी0आई0 एकक के दिनांक 21/05/2014 के का0ज्ञा के अनुपालन में आर0टी0आई0 आवेदन एवं उत्तर को गृह मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध सहित।